भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय,
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
पो.बै. सं. 11 500, मुंबई : 400 020.
फॅक्स सं.022-2002495, E-mail: texcomindia@txcindia.com
Website : www.txcindia.com

सं. 28(19)/2003-एम.एस/ दिनांक : 16 अप्रैल,2004

परिपत्र सं. 2
(2004-2005 श्रृंखला)

विषय : प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौ.उ.नि.यो.)

1. नोडल अभिकरणों द्वारा अतिरिक्त बैंकों/वित्तीय संस्थानों का सहयोजन ।

(i) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई), जो प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत वस्त्र उद्योग (गैर-लघु उद्योग) के लिए नोडल अभिकरण है, ने दिनांक 07/4/2004, 16/4/2004 एवं 23/4/2004 के पत्र सं. आईडीबीआई.एचओ.टीयूएफएस (6)/269,283 एवं 367 द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अन्तर्गत वस्त्र उद्योग के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त बैंको का सहयोजन किया है :-

(1) बीएनपी परिबास
(2) स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक
(3)एचडीएफसी बैंक लि.

(ii) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), जो प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत वस्त्र उद्योग (लघु उद्योग) के लिए नोडल अभिकरण है, ने दिनांक 16/4/2004 के पत्र सं. डीएफआईडी/ आरटीयूएफ द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अन्तर्गत वस्त्र उद्योग के लिए दि पंचशील मर्कन्टाइल को. ऑप. बैंक लि. सूरत को सहयोजित किया है :-

2. दिनांक 29 अप्रैल,2004 को नई दिल्ली में संपन्न अंतर-मंत्रालयीन स्थायी समिति (आईएमएससी) की 16 वीं बैठक में लिए गए निर्णय :-

(i) पुराने रैपियर करघों के साथ पुराने जैकॉर्ड (शेडिंग फॉर्मेशन उपकरण) का समावेश :-
पुराने रैपियर करघों के साथ आयातित पुराने जैकॉर्ड (शेडिंग फॉर्मेशन उपकरण) को प्रौ.उ.नि.यो. के जी.आर के पैरा 3.2 (2) (बी) में वर्तमान प्रविष्टि को निम्नानुसार संशोधित करके प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत पात्र मशीनरी बनाया गया है।

पैरा 3.2 (2) (बी)

दस वर्ष तक पुराने तथा न्यूनतम 10 वर्षों तक चलने वाले स्वत: बंद होनेवाले एवं तनन नियंत्रण करनेवाले, क्रील तथा/अथवा सेक्शनल वार्पिंग मशीन के साथ उच्च गति या उसके बिना सीधे बीम वार्पर के साथ इलेक्ट्रानिक जॅकॉर्ड/इलेक्ट्रानिक डॉबी लगाये हुए या उसके बिना एअरजेट, प्रोजेक्टाईल, रैपियर तथा वाटरजेट शटललेस लूम्स ।

(ii) पुरानी वार्प एवं राचेल बुनाई मशीन के साथ पुरानी वार्पिंग मशीन का समावेश।

पुरानी वार्प एवं राचेल बुनाई मशीन के साथ पुरानी वार्पिंग मशीन को प्रौ.उ.नि.यो. पर जी.आर के पैरा 3.2 (2) एच में वर्तमान प्रविष्टि को निम्नानुसार संशोधित करके प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत पात्र मशीनरी बनाया गया है :-

<u>पैरा 3.2(2) (एच) :-</u>

10 वर्ष तक पुरानी तथा न्यूनतम 10 वर्षों तक चलनेवाली यार्न तनन उपकरण के साथ वार्प बुनाई/राचेल बुनाई मशीन के लिए वार्पिंग मशीन के साथ या उसके बिना वार्प एवं राचेल बुनाई-मशीन ।

(iii) स्टॅण्ड अलोन आधारपर पुराने इलेक्ट्रानिक डॉबी/इलेक्ट्रानिक जॅकॉर्ड का समावेश।

प्रौ.उ.नि.यो. पर जी.आर के पैरा 3.2 (2) (एम) में निम्नानुसार अतिरिक्त प्रविष्टि करके प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत स्टॅण्ड अलोन आधारपर पुराने इलेक्ट्रानिक डॉबी/इलेक्ट्रानिक जॅकॉर्ड को पात्र मशीनरी बनाया गया है ।

<u>पैरा 3.2(2) (एम) :-</u>

10 वर्ष तक पुरानी तथा न्यूनतम 10 वर्षो तक चलनेवाली स्टॅण्ड अलोन आधारपर पुराने इलेक्ट्रानिक डॉबी/इलेक्ट्रानिक जॅकॉर्ड ।

(iv) प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत एक खण्ड (परिशिष्ट) के लिए विनिर्दिष्ट मशीनरी की अन्य खण्ड के लिए जिसके लिये समान मशीनरी सूमचीबद्ध नहीं है, पात्रता :-

सरकार ने विशिष्ट खण्ड के लिए विशेष रूप से प्रतिबंधित पात्रता होने के बावजूद भी एक खण्ड के लिए पात्र मशीनरी किसी और खण्ड/कार्य के लिए भी पात्र बनाने के लिए मान्यता दी है ।

(v) डाऊन स्ट्रीम वॅल्यू एडीशन/एमईएस प्रतिबन्ध के संबंध में उपबन्धों में संशोधन जब वर्तमान निटिंग एवं गारमेन्टिंग तथा पावरलूम इकाइयों द्वारा नई स्पिनिंग इकाइयां लगाई गई हो ।

(i) वर्तमान निटिंग एवं गारमेन्टिंग इकाइयां जो यार्न के कॅप्टिव खपत के लिए स्पिनिंग इकाइयां लगाना चाहते हैं, वे प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत कॉटन रिंग स्पिनिंग पद्धति के 25,000 तकुओं की एमईएस आवश्यकता को पूर्ण करना होगा । तथापि डाऊन स्ट्रीम वॅल्यू एडीशन में निवेश में वर्तमान निटींग तथा गारमेन्टींग सुविधा को भी ध्यान में लिया जाएगा तथा केवल अतिरिक्त बढ़ी हुई क्षमता को स्थापित करने की आवश्यकता होगी ।

(ii) पावरलूम इकाइयों को एमईएस प्रतिबन्ध आकृष्ट किए बिना कॅप्टिव यार्न की आवश्यकता के लिए नई स्पिनिंग इकाई लगाने हेतु एमईएस प्रतिबन्ध को "नई पावरलूम इकाइयां" के रूप में संशोधित किया है । दूसरे शब्दों में, वर्तमान पावरलूम इकाइयां जो यार्न की कॅप्टिव खपत के लिए स्पिनिंग इकाइयां लगाना चाहते हैं, को प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत पात्र बनने के लिए प्रौ.उ.नि.यो. के अन्तर्गत कॉटन रींग स्पिनिंग पद्धति के 25,000 तकुओं की एमईएस आवश्यकता को पूर्ण करना होगा तदनुसार प्रौ.उ.नि.यो. पर जी. आर. के पैरा 3.2 (9) में प्रविष्टि निम्नानुसार संशोधित की गई है :-

पैरा 3.2 (9) (i) निटींग एवं गारमेन्टींग सुविधा से युक्त नई मिश्रित इकाइयों को कताई में समतूल्य/समान क्षमता स्थापित करने की अनुमति दी गई है । ऐसे मामलों में कताई सुविधा के लिए एमईएस लागू नहीं होगा । तथापि, वर्तमान निटींग एवं गारमेन्टींग इकाइयां जो यार्न की कॅप्टिव खपत के लिए कताई इकाइयां लगाना चाहते हैं, को प्रौ.उ.नि.यो. के तहत कॉटन रिंग कताई पद्धति के लिए 25,000 या उससे अधिक तकुओं की एमईएस आवश्यकता को पूर्ण करने की आवश्यकता है । तथापि ऐसी इकाइयों के लिए डाऊन स्ट्रीम वॅल्यू एडीशन में निवेश में वर्तमान निटिंग तथा गारमेन्टिंग सुविधा को भी ध्यान में लिया जाएगा तथा केवल अतिरिक्त बढ़ी हुई क्षमता को स्थापित करने की आवश्यकता होगी।

(i) नई पावरलूम इकाइयां भी कताई क्षमता के लिए एमईएस को लागू किये बिना कताई में समतुल्य क्षमता लगा सकते हैं । तथापि वर्तमान पावरलूम इकाइयां जो यार्न की कॅप्टिव खपत के लिए कताई इकाइयां लगाना चाहते हैं, को प्रौ.उ.नि.यो. के तहत कॉटन रिंग कताई पद्धति के लिए 25,000 या उससे अधिक तकुओं की एमईएस आवश्यकता को पूर्ण करने की आवश्यकता है । तथापि ऐसी इकाइयों के लिए डाऊन स्ट्रीम वॅल्यू एडीशन में निवेश में वर्तमान बुनाई सुविधा को भी ध्यान में लिया जाएगा तथा केवल अतिरिक्त बढ़ी हुई क्षमता को स्थापित करने की आवश्यकता होगी।

(vi) विकेन्द्रीकृत पावरलूम क्षेत्र के शटललेस करघों के संबंध में न्यूनतम प्रतिबंधित चौड़ाई को हटाना ।

प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत सभी प्रकार के शटललेस करघों के लिए न्यूनतम प्रतिबंधित चौड़ाई को हटाया गया है ।

(vii) अपनी क्षमता का 12000 से 25000 तक बढ़ाने वाली कताई इकाइयों के लिए डाऊन स्ट्रीम वल्यू एडीशन की शर्त को हटाना ।

12000 से 25000 तकुएं की क्षमता बढ़ानेवाली कताई इकाइयों के लिए **पहले सौ मामलों** में डाऊन स्ट्रीम वॅल्यू एडीशन शर्त को हटाया गया है ।

(viii) प्रौ.उ.नि.यो. के अंतर्गत चुकौती अवधि ।

ऋणद अभिकरणों तथा वस्त्र इकाइयों के बीच चुकौती अवधि निश्चित की जानी है । तथापि बैंक 10 वर्ष से अधिक अवधि के लिए ऋण दे सकती है, परन्तु दो वर्ष के विलम्बन काल समेत सब्सिडी केवल 10 वर्षों तक ही दी जाएगी ।

उपरोक्त आशोधनों को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए ।

(श्रीमती शशी सिंह)
निदेशक